सानिम्र
1/6/22

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल जिला – नागौर

दिनांक 01-06-2022

: भू.अ./2022/3666

– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल।

– प्रकरण धारा 251 ए की जांच करवाकर भिजवाने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आपके न्यायालय के

स. ....12/2022..

.........[illegible]..

व भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा से संबधित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ.निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मोका मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के श्रीमान कि सेवा में सादर प्रेषित है।

न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

मौका जांच रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 251 ए RTA. 1955) आज दिनांक 26.5.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के आदेश क्रमांक कोर्ट/रीडर/261 दिनांक 11/05/2022 व राजस्व वाद क्रमांक 11/2022 अनुसार जगपालसिंह बनाम कदनसिंह अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु पटवारी हल्का डुगोली के साथ मौजा रवारी गोपा के ख.नं. 26 रकबा 7.3084 हे. भूमि के मौके पर पहुंचा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु मोबाइल से सूचित किया गया।

मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

ग्राम:- रवारी गोपा
ख.नं.:- 26

रिकार्ड अनुसार नजरी नक्शा

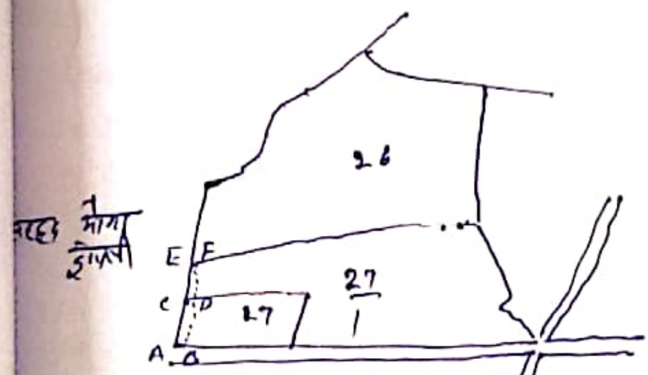

(1) प्रार्थी जगपालसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रवारी गोपा ने खेत ख.नं.27 व 27/1 मौजा रवारी गोपा में से मार्क ABCDEF के अनुसार रास्ता मांगा है।
(2) उक्त ख.नं. 27 व 27/1 कटाणी रास्ता ख.नं. 158 रोडू से रवारी गोपा कटाणी मार्ग पर स्थित है।
(3) ख.नं. 26 में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
(4) ख.नं. 26 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता ख.नं. 158 से कम दूरी ख.नं. 27 व 27/1 की पश्चिमी सीमा से लगती है।
(5) प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ख.नं. 27 के मार्क ABCD में 352 फीट ~~लंबा चौड़ा~~ व 15 चौड़ाई बनता है तथा ख.नं. 27/1 में मार्क CDEF में ~~...~~ 284 फीट लंबा व 15 फीट चौड़ा बनता है।
अतः मौका जांच रिपोर्ट तैयार की गई है।

26/05/2022
दीपेन्द्र सिंह
पटवारी प.म. डुगोली
तहसील-जायल (नागौर)

(भू.अ.नि.) डुगोली
26/5/2022

जगमाल सिह बनाम लाडकवर व अन्य
जीसीएमएस न. 2022 / 186
प्रकरण सं. 12 / 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

...लास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 12 / 2022

...ी :–

... जगमाल सिंह पुत्र पने सिंह जाति राजपूत निवासी खारीजोधा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

...र्थीगण :–

1. बदन सिंह पुत्र भूर सिंह (कायम मुकाम)
   1/1. लाडकंवर पत्नि बदन सिंह
   1/2. दातार सिह पुत्र बदन सिंह
   1/3. गिरधारी सिह पुत्र बदन सिंह
   1/4. ओम कंवर पत्नि बोदू सिंह पुत्र बदन सिंह
   1/5. दिलीप सिंह पुत्र बोदू सिह पुत्र बदन सिंह
   जाति राजपूत निवासीगण खारीजोधा तहसील जायल जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : निर्णय : : –

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दिनांक 18/07/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र ...तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि मौजा खारीजोधा तहसील जायल मे प्रार्थी ... खेत ख.न. 26 रकबा 7.3086 हैक्टेयर आया हुआ है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत में वर्षो ...राने रास्ता खारी से रोटू जाने वाली ग्रेवल सड़क से फंटकर खेत ख.न. 27 रकबा 2.2258 ...क्टेयर तथा खेत ख.न. 27/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर मे से प्रार्थना पत्र से सलग्न नजरी ...क्शा अनुसार आते जाते रहे है।

18/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी अपने खातेदारी खेत ख.न. 26 में आने जाने हेतु ग्राम खारी से रोटू जाने वाली ग्रेवल सड़क से फटंकर ख.न. 27 व 27/1 दोनो खसराओं की पश्चिमी सीवं के पास पास नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी होते हुये अपने परिवार सहित तथा कृषि कार्य हेतु संसाधन ऊंट छकडा, ट्रेक्टर ट्राली लाता ले जाता रहा है, तथा काश्त करसण करता रहा है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता ही एक मात्र रास्ता जो सबसे नजदीक रास्ता है। अब अप्रार्थी सं. 1 के फोत हो जाने पर अप्रार्थी सं. 1 विधिकवारिसान के द्वारा खातेदारी की आड़ में ख.न. 27 व 27/1 में से नहीं आने जाने की मंशा जाहिर कर धकमी दे रहे है। अप्रार्थी सं. 1 के वारिसान के खेत ख.न. 27 व 27/1 के अलावा अन्य किसी तरफ से कटाणी रास्ते के नजदीक कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने इस रास्ते से प्रार्थी का आना जाना बन्द कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी का अपने खेत में प्रवेश करना सम्भव नहीं हो रहा है। प्रार्थी के अपने खेत मे आ जा नही सकने से काश्त करसण भी नहीं कर पा रहा है। और समय पर खेत की बिजाई नहीं होने से प्रार्थी को अधिक हानी होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्सानुसार ख.न. 27 व 27/1 में पश्चिमी सींव के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु रास्ता घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व तरमीर हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। अप्रार्थी को आवाज लगाई गई। बाद आवाज व इंतजार उपस्थिति के भी अप्रार्थीगण हाजिर न्यायालय नहीं आये तथा ना ही अप्रार्थीगण की ओर से प्लीडर हाजिर आया। अप्रार्थीगण द्वारा बाद इतला अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 1 के वारिसान 1/1 से 1/5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 को मौके पर तैयार की जाकर द्वारा पत्रांक 3666 दिनांक 01.06.2022 से प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ख.न. 27 ख.न. 27/1 कटाणी रास्ता ख.न. 158 ग्राम रोटू से खारीजोधा पर चिपते ही है। ख.न. 26 में आने जाने अन्य वैकल्पिक रास्ता रास्ता नहीं है। ख.न. 26 मे आने जाने हेतु कटाणी रास्ता ख.न. 158 से कम दूरी का रास्ता ख.न. 27 व 27/1 की पश्चिमी सींव से लगता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावि रास्ता ही एक मात्र सबसे कम दुरी का रास्ता है जो कि ख.न 27 में मार्क ए–वी–सी–डी तथा ख.न. 27/1 में मार्क सी–डी–ई–एफ जिसकी दुरी क्रमशः 357 फ़िट व 264 फिट लम्बा तथा 15 चौडा बनता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 के वारिसान् 1/1 से 1/5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। ख.न. 27 व 27/1 मे से ही प्रार्थी रास्ते का उपयोग अपने खेत में आने जाने व कृषि संसाधन लाने –ले जाने हेतु करता आ रहा है। परन्तु ख.न. 27 व 27/1 में कटाण दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग व उपभोग करने से प्रार्थी का मना किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नही है, तथा मौका रिपोर्ट में भी इसी रास्ते को सबसे नजदीक होने का उल्लेख करते हुये प्रार्थी के खेत ख.न. 26 के अन्य कोई कटाणी रास्ता व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर माफिक नजरी नक्सानुसार रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत ख.न. 26 जिसके प्रार्थी के कथनानुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. 27 व 27/1 के खेत कटाणी रास्ता से फटकर ही आवगमन हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते को ही सबसे नजदीक रास्ता एवं इस रास्ते के औलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रमाणित होता है। चुंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही प्रस्तावित की हुई है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण मे उपस्थित आकर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण द्वारा बाद सूचना अनुपस्थित रहने से तथा मौका रिपोर्ट में से यह स्पष्ट हो जाने कि प्रार्थी के खेत ख.न. 26 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगने व वैकल्पिक रास्ता भी मौजुद नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता माफिक नजरी नक्सा ए से बी सबसे नजदीक है एवं रास्ते मे किसी प्रकार का अवरोध भी मौका रिपार्ट में उल्लेखित नहीं है। उक्त रास्ता की प्रार्थी के खेत में आने जाने तथा पशुधन तथा कृषि प्रयोजनार्थ आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु नितांत आवश्यकता होने से व अन्य वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

जगमाल सिंह बनाम लाडकवर व अन्य
जीसीएमएस न. 2022 / 186
प्रकरण सं. 12 / 2022

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण मौका रिपोर्ट मे माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम खारीजोधा तहसील जायल के खसरा नं. 27 व 27 / 1 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार ख.न. 27 डोटेट मार्क ए से डी (357 फिट लम्बाई) तथा ख.न. 27 / 1 मे मार्क सी से एफ (264 फिट लम्बाई) के अनुसार 15 चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खारीजोधा तहसील जायल के खसरा नं. 27 व 27 / 1 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट) अनुसार तकमीना तैयार कर नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील एवं जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

18/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

यह आदेश आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

18/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल